Cognitive Thinking: An International Journal of Interdisciplinary Studies
Vol. 2, Issue-2 (April-June, 2026), pp.352-355, ISSN: 3107-5088,
www.cognitivethinking.in

उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन में चौधरी चरण सिंह का योगदान

शोधार्थी
मोहित कुमार
इतिहास विभाग, रघुनाथ गर्ल्स (पी0जी0) कॉलिज, मेरठ

Article: Received: 18/06/2026, Accepted: 25/06/2026, Published:30/06/2026.
D.O.I. https://doi.org/10.5281/zenodo.21134757

@ 2026 The Author(s). This is an Open Access article/ Journal distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are properly credited. (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

सारांश–''स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के समक्ष कृषि सुधार सर्वाधिक महत्वपूर्ण चुनौतियों में से एक था। देश के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश में जमींदारी प्रथा का व्यापक प्रभाव था, जो भूमि सुधारों का एक प्रमुख केंद्र बना। इस जमींदारी प्रथा के परिणामस्वरूप कृषकों का आर्थिक, राजनीतिक व सामाजिक शोषण होता था एवं कृषि उत्पादन और ग्रामीण विकास बाधित होते थे। इस शोषणकारी व्यवस्था का उन्मूलन करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन व भूमि सुधार अधिनियम, 1950 लागू किया गया, जिसके परिणामस्वरूप भारतीय कृषि इतिहास में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त हुआ। इस निर्णय प्रक्रिया में चौधरी चरण सिंह की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण व निर्णायक रही।
मुख्य शब्द– जमींदारी उन्मूलन, भूमि सुधार, सामूहिक खेती, कृषक स्वामित्व।

प्रस्तावना (Introduction): भारतीय लोकतंत्र के विकास में अनेक ऐसे नेता हुए जिन्होंने राजनीति को मात्र सत्ता प्राप्ति का माध्यम न समझकर जनसेवा एवं सामाजिक परिवर्तन का साधन बनाया। ऐसे नेताओं में भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का नाम अत्यंत सम्मान के साथ लिया जाता है। वे देश की राजनीति में किसान चेतना, सामाजिक न्याय, ग्रामीण विकास व लोकतांत्रिक मूल्यों के सबसे प्रखर प्रवक्ताओं में से एक थे। उनका संपूर्ण जीवन लघु व मध्यम कृषकों, मजदूरों तथा ग्रामीण समाज के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए समर्पित रहा। उन्होंने अपने विचारों तथा कार्यों से यह सिद्ध किया कि भारत की वास्तविक प्रगति तभी संभव है, जब कृषि, कृषक समाज तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को विकास की मुख्य धारा में स्थान मिले। उनके राजनीतिक जीवन का मूल आधार नैतिकता, सादगी, ईमानदारी एवं प्रशासनिक दक्षता तथा जनहित था।

महात्मा गांधी के नेतृत्व में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन से प्रभावित होकर चौधरी चरण सिंह उसमें कूद पड़े तथा कांग्रेस में शामिल हो गये। इस दौरान सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के कारण वे प्रथम बार जेल भी गए तथा राष्ट्रीय आंदोलन के विभिन्न चरणों में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी ने उनके व्यक्तित्व को लोकतांत्रिक मूल्यों, जनसेवा की भावना एवं राष्ट्रवादी दृष्टिकोण से समृद्ध किया। वर्ष 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् चौधरी चरण सिंह का राजनीतिक जीवन एक नए चरण में प्रवेश कर गया। उत्तर प्रदेश की विधानसभा के सदस्य होने के नाते उन्होंने किसानों की समस्याओं को जोरदार तरीके से उठाया एवं भूमि सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया। उनका स्पष्ट मानना था कि जब तक जमींदारी जैसी प्रथा समाप्त नहीं होगी, तब तक कृषकों को वास्तविक आर्थिक एवं सामाजिक स्वाधीनता प्राप्त नहीं हो सकती हैं। इसी दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप उन्होंने उत्तर प्रदेश में जमींदारी प्रथा के उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया।

विषय विस्तार: स्वतंत्रता पश्चात् देश में प्रत्येक वर्ग की एक लॉबी थी, परन्तु किसान जो स्वाधीन भारत की सबसे बड़ी ताकत थी, उनकी कोई लॉबी नहीं थी। इसका सबसे प्रमुख कारण, किसानों में राजनीतिक चेतना का न होना था। चौधरी चरण सिंह ने उनमें राजनैतिक चेतना जगाकर उनमें सत्ता में भागीदारी की भावना पैदा की। उन्होंने कृषकों में वर्गीय चेतना जागृत कर एक स्वंतत्र वर्ग के रूप में संगठित होने की प्रेरणा दी। उन्होंने अपने राजनैतिक जीवन के आरंभ से अपनी अंतिम सांस तक निर्धन किसानों के दर्द को जिया व उनके हितों के लिए सदैव संघर्ष किया। उनका संपूर्ण राजनीतिक जीवन गाँव, गरीब व किसानों की समस्याओं के अन्वेषण व उनके निराकरण में ही व्यतीत हुआ।

भारत की कृषि व्यवस्था पर औपनिवेशिक शासन का अत्यंत गंभीर प्रभाव पड़ा। उत्तर प्रदेश की जमींदारी व्यवस्था ब्रिटिश राजस्व नीति का एक उपकरण थी, जिसने भूमि संबंधों को मूलतः परिवर्तित कर दिया। इस व्यवस्था के अंतर्गत राज्य एवं किसानों के बीच एक मध्यस्थ के रूप में जमींदार वर्ग का उदय हुआ। जो किसानों से लगान की वसूली कर सरकार को राजस्व के रूप में पहुँचाते थे, परन्तु कालांतर में यह व्यवस्था किसानों के आर्थिक शोषण का माध्यम बन गई। इस व्यवस्था के अंतर्गत राज्य में बड़े–बड़े जमींदारों एवं तालुकेदारों का उदय हुआ। किसान का भूमि पर स्वामित्व नहीं था तथा उनको उच्चे लगान, बे–दखली व सामाजिक निर्भरता का सामना करना पड़ता था। किसानों की आर्थिक स्थिति दयनीय बन बई तथा वे पूर्णतः जमींदार की दया पर निर्भर हो गए।

20 वीं सदी के आरम्भिक दशकों में किसान आन्दोलनों के उभार ने इस शोषण मूलक व्यवस्था के विरोध में व्यापक असंतोष को जन्म दिया। किसान सभाओं के प्रभाव से भूमि सुधारों की मांग तेज हुई। कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन (1936) में कृषि सुधारों की आवश्यकता को स्वीकार किया गया। 1940 के दशक तक आते–आते यह स्पष्ट हो चुका था कि स्वतंत्र भारत में जमींदारी प्रथा को बनाए रखना अंसभव होगा। इसी पृष्ठभूमि में उत्तर प्रदेश में गोविंद बल्लभ पंत के नेतृत्व में चौधरी चरण सिंह के माध्यम से जमींदारी उन्मूलन की दिशा में प्रयास हुए।

तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 1946 में जमींदारी उन्मूलन समिति का गठन किया। इस समिति का मुख्य उद्देश्य जमींदारी प्रथा को समाप्त करने का खाका तैयार करना था। समिति के अन्दर विभिन्न दृष्टिकोण वाले सदस्य मौजूद थे। इनमें से कुछ सदस्य भूमि के निजी स्वामित्व के पक्षधर थे, तो कुछ अन्य सदस्य सामूहिक खेती एवं भूमि के राष्ट्रीयकरण के हिमायती थे। चौधरी चरण सिंह ने समिति के भीतर स्वामित्व आधारित भूमि व्यवस्था का जोरदार समर्थन किया। उनका प्रयास यह सुनिश्चित करना था कि भूमि का नियंत्रण प्रत्यक्षतः किसानों को मिले व किसी नई प्रकार की नौकरशाही व्यवस्था या राज्य–नियंत्रित व्यवस्था विकसित न होने पाए। समिति की अनुशंसाओं पर उनका प्रत्यक्ष प्रभाव दिखता है। भूमि पर बिचौलियों के अधिकार समाप्त करने, कृषकों को सुरक्षित स्वामित्व प्रदान करने एवं भूमिधारी व्यवस्था स्थापना आदि प्रावधान उनके दृष्टिकोण से मेल खाते थे।

चौधरी चरण सिंह के अनुसार, ''व्यक्ति भूमि पर श्रम करता है, वही उसका वास्तविक स्वामी होना चाहिए।'' उनका मानना था कि जमींदारी प्रथा उत्पादन क्षमता को सीमित करती है व किसानों के शोषण का माध्यम है। इसके साथ ही यह आर्थिक असमानता को बढ़ाती है, जिससे ग्रामीण लोकतंत्र की नींव कमजोर होती है। वे देश की किसान राजनीति के अग्रणी नेताओं में से एक थे तथा उनका स्पष्ट मानना था कि भारत की आर्थिक संवृद्वि का आधार कृषि एवं कृषक ही हैं। उन्होंने ग्रामीण समाज की समस्याओं का अध्ययन किया एवं निष्कर्ष निकाला कि जमींदारी व्यवस्था कृषि विकास की प्रमुख बाधा है। उन्होंने विभिन्न अध्ययनों एवं लेखन के माध्यम से भूमि सुधारों के दो मॉडल प्रस्तुत किए–

अ– भूमि का राष्ट्रीयकरण एवं सामूहिक खेती।

ब– कृषक स्वामित्व आधारित कृषि व्यवस्था।

चौधरी चरण सिंह के द्वारा दूसरे मॉडल का पूर्ण मनोयोग से समर्थन किया गया, क्योंकि उनका मानना था कि भारतीय किसान का अपनी भूमि के साथ भावनात्मक व आर्थिक जुड़ाव होता है। इसलिए वह व्यक्तिगत प्रयासों के द्वारा अधिकाधिक उत्पादन प्राप्त करने हेतु निरन्तर प्रयत्नशील रहेगा। उन्होंने सामूहिक खेती को भरतीय परिस्थितियों के पूर्णतः प्रतिकूल बताया तथा आगे चलकर इसी विचार के साथ भूमि सुधार कार्यक्रम की आधारशिला रखी। अपेक्षाकृत कनिष्ठ मंत्री होने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री गोविन्द बल्लभ पंत द्वारा जमींदारी उन्मूलन व भूमि सुधार विधेयक का मसौदा तैयार करने का दायित्व उनको ही सौंपा गया। जो उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम, 1950 के रूप में अस्तित्व में आया तथा वर्ष 1952 ई0 में अन्ततः विधान के रूप में पारित हो गया। इस अधिनियम के कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य थे –

- जमींदारों व अन्य मध्यस्थों का उन्मूलन।
- किसानों को भूमि स्वामित्व प्रदान करना।
- कृषि उत्पादन में वृद्धि प्राप्त करना।
- ग्रामीण समाज में सामाजिक न्याय की स्थापना करना।

इस अधिनियम के माध्यम से उत्तर प्रदेश की 6 करोड़ 70 लाख एकड़ भूमि को काश्तकारों एवं लगभग दस लाख भूमिहीन कृषकों के मध्य वितरित कर भू– स्वामित्व प्रदान किया गया। इसके अलावा 'जमींदारी उन्मूलन निधि' की अवधारणा भी उनकी प्रमुख देन है, जो जमींदारों को जमींदारी उन्मूलन के एवज में मुआवजा देने के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने के उद्देश्य से बनाई गई थी, ताकि प्रत्येक वर्ग के साथ न्याय किया जा सकें।

चौधरी चरण सिंह के अनुसार, गाँव भारत की आत्मा है व गाँव के बगैर भारत अधूरा है। इसलिए देश व प्रदेश को यदि सशक्त बनाना है तो गाँव को सशक्त बनाना आवश्यक है। भारत एक कृषि प्रधान देश है एवं लगभग सभी प्रकार की फसलों की पैदावार यहां होती है। परन्तु औपनिवेशिक शासन की शोषण मूलक जमींदारी व्यवस्था ने यहां केवल उन्हीं फसलों की कृषि को बढ़ावा दिया जो ब्रिटिश आर्थिक हितों को पूरा कर सके तथा ब्रिटिश उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध करा सकें। इसकी परिणति बारम्बार पड़ने वाले अकालों के रूप में भी देखी जाती रही। जमींदारी उन्मूलन के बाद मिले भू–स्वामित्व तथा भूमि अधिकारों की सुरक्षा ने कृषकों को कृषि में निवेश हेतु प्रेरित किया। सिंचाई, उन्नत बीज एवं उर्वरक आदि के प्रयोग में निरंतर वृद्धि हुई। उत्तर प्रदेश के विशेषकर पश्चिमी भाग में कृषि उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई तथा बाद में, यह क्षेत्र हरित क्रांति का प्रमुख केंद्र की बना तथा उत्तर प्रदेश खाद्यान्न की कमी से खाद्यान्न अधिशेष वाला राज्य बन गया। कृषि उत्पादन बढ़ने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तेजी आई बाजारों का विस्तार हुआ तथा जिसके परिमाणस्वरूप प्रति व्यक्ति आय वृद्धि हुई।

ईस्ट इण्डिया कम्पनी की सत्ता स्थापित होने से पहले भारत को सोने की एक चिडिया के रूप में जाना जाता था। यूनानी दार्शनिक प्लिनी के विवरण से भी इसका पता चलता है, जो रोम से सोना प्राचीन भारत में आने पर शोक प्रकट करता है तथा मध्यकाल में भी व्यापार–वाणिज्य समृद्ध था तथा खाद्यान्न की प्रचुरता के कारण प्रायः अकाल नहीं पड़ते थे। यहाँ धन–धान्य की कोई कमी नहीं थी तथा देश के अनेक शहरों व कस्बों में लघु एवं कुटीर उद्योग फैले हुए थे। यहाँ का तैयार माल यूरोप व एशिया के कई देशों तक पहुँचता था। परन्तु अग्रेजों द्वारा अपनाई गई जमींदारी प्रणाली ने देश के सामाजिक व आर्थिक ताने–बाने को छिन्न–भिन्न कर दिया। चौधरी चरण सिंह कृषि व ग्रामीण जीवन को भारतीय अर्थव्यवस्था व समाज का केंद्र बिंदु मानते थे। उनके अनुसार कृषि संपत्ति का मूलाधार है व इसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप अवांछनीय हैं। जमींदारी प्रथा हमारी कृषि प्रणाली में ऐसा ही एक वांछनीय हस्तक्षेप था। अतः इसका उन्मूलन नितांत आवश्यक था ताकि राष्ट्र को आर्थिक व सामाजिक बेड़ियों से मुक्त किया जा सकें।

जमींदारी उन्मूलन का उत्तर प्रदेश राज्य के सामाजिक ढाँचे पर व्यापक प्रभाव पड़ा। राज्य की ग्रामीण सत्ता संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। प्रदेश में खुशहाली का मार्ग प्रशस्त हुआ व गाँवों पुनः आत्मानिर्भरता की ओर उन्मुख हुए। समृद्ध कृषि व उससे जुडे लघु–कुटीर उद्योग एवं उनके ऊपर शहरों–कस्बों के बड़े उद्योगों की एक श्रृंखला बनी, जो एक–दूसरे की सहयोगी थी, न कि प्रतिस्पर्द्धी। साथ ही, भू–स्वामित्व प्राप्त होने से पारंपरिक जमींदार वर्ग की प्रभुता कमजोर हुई एवं कृषक वर्ग सशक्त हुआ। किसानों को भू–अधिकार मिलने से उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा में अभिवृद्धि हुई तथा जातीय अलगाव में कमी देखी गई।

जमींदारी उन्मूलन का प्रभाव उत्तर प्रदेश की राजनीतिक व्यवस्था में भी देखा जा सकता है। स्वतंत्रता के कई दशकों तक कांग्रेस को अपार जनसमर्थन मिलता रहा। किसानों ने इस सुधार को अपनी आर्थिक मुक्ति के रूप में देखा। चौधरी चरण सिंह भारतीय किसान राजनीति के अग्रणी नेता के रूप में उभरे व दो बार उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री बने। साथ ही, उन्होंने प्रथम बार किसी किसान–कमेरे वर्ग से आने वाले व्यक्ति के रूप में देश के प्रधानमंत्री के पद को भी सुशोभित किया। उन्होंने ग्रामीण भारत की समस्याओं को राष्ट्रीय राजनीति के केन्द्र में ला दिया। आगे चलकर लोकदल व अन्य किसान राजनीतिक आंदोलनों में उनकी निर्णायक भूमिका रही। उनकी राजनीति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष कृषकों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता थी। उन्होंने कृषकों की आय, भू–अधिकार, ऋण मुक्ति, उचित मूल्य, सिंचाई, कृषि उत्पादन व ग्रामीण आधारभूत संरचना जैसे विषयों को राष्ट्र के विमर्श का भाग बना दिया। वर्तमान समय में भी देश में कृषि सुधार, ग्रामीण विकास, न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा किसान कल्याण से संबंधित चर्चाओं में उनके विचार प्रासंगिक बने हुए हैं।

जमींदारी उन्मूलन की ऐतिहासिक उपलब्धियों के साथ ही इसकी कुछ सीमाएँ भी है। अधिनियम का मुख्य उद्देश्य जमींदारी उन्मूलन था, न कि भूमि का समान वितरण। अधिकांश भूमि उन्हीं व्यक्तियों के पास रहने दी गई, जो 'कृषक कब्जे' में थी। चूँकि अधिनियम में परिवारिक भूमि की सीमा का कोई स्पष्ट

प्रावधन नहीं था, इसलिए अधिकांश जमींदारों ने भूमि का वितरण परिवार के ही किसी अन्य सदस्यों, रिश्तेदारों या अन्य किसी बेनामी व्यक्ति (जैसे– घरेलू नौकर) आदि को कर दिया गया तथा व्यक्तिगत खेती के नाम पर भी जमींदारों ने बड़ी मात्रा में भूमि अपने पास बनाए रखी। साथ ही, काश्तकारों के पास भूमि अभिलेखों की अपर्याप्तता के कारण अनावश्यक कानूनी विवादों तथा जमींदारों व प्रशासनिक अधिकारियों के अनैतिक गठजोड़ से अधिनियम की मूल भावना को धक्का लगा।

अधिनियम का लाभ मुख्यतः मध्यम वर्गीय किसानों को ही मिल पाया। भूमिहीन तबका, वंचित वर्ग और खेतिहर मजदूर अधिकांशतः भू–स्वामित्व से वंचित ही रहे। जमींदारी समाप्त होने के बाद भी भूमि वितरण में असमानता से बड़े व समृद्ध किसानों का एक नया अभिजात वर्ग उभरा। इससे ग्रामीण समाज में असमानता बनी रही। साथ ही, भूमि अभिलेखों की अपूर्णता एक बड़ी समस्या थी। राजस्व विभाग के कर्मचारियों व अधिकारियों पर बड़े भू–स्वामियों से मिलीभगत के आरोप लगे। अदालती मुकदमेबाजी व विवादों के परिणामस्वरूप भूमि सुधारों का क्रियान्वयन भी धीमा रहा, परन्तु फिर भी यह अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि जमींदारी उन्मूलन ने ग्रामीण उत्तर प्रदेश के शक्ति–संतुलन को महत्वपूर्ण रूप से बदल दिया। भूमिहीनों को भूमि पटटे मिलने से उनकी पारिवारिक आवश्यकताओं हेतु खाद्यान्न आपूर्ति सुनिश्चित हुई एवं उनकी संस्थागत ऋण तक पहुँच भी सुनिश्चित हुई। अतः यह कृषि सुधारों की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम सिद्ध हुआ।

उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। चौधरी चरण सिंह ने इसकी वैचारिक, विधायी तथा प्रशासनिक दिशा निर्धारित करने में अग्रणी भूमिका निभाई है। उन्होंने स्वामित्व आधारित कृषि व्यवस्था का समर्थन कर भूमि सुधारों को व्यावहारकि स्वरूप प्रदान किया। उनका मानना था कि कृषि विकास को प्राथमिकता प्रदान की जाए व कृषि उत्पादन में वृद्धि की जाए ताकि ग्रामीण समाज की क्रय शक्ति बढ़ सके। जिससे कृषि में निवेश कर कृषक लघु व कुटीर उद्योगों को कच्चा माल प्रदान कर गाँवों में ही उद्योग स्थापना में सहयोग प्रदान कर सके। इस प्रकार गाँवों के चारों ओर औद्योगिक वातावरण तैयार होगा, जिससे बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा तथा उनका शहरों की ओर पलायन रूकेगा। इन सबके सम्मिलित प्रभावों के कारण हमारे गाँव समृद्ध व आत्मनिर्भर होंगे। यदि जमींदारी उन्मूलन को प्रशानिक मशीनरी के द्वारा बेहतर ढंग से क्रियान्वित किया जाता, तो आज जिस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों से नगरों की ओर पलायन बढ़ रहा है, उसमें अपेक्षाकृत कमी देखी जाती तथा शहरीकरण के नकारात्मक प्रभावों से भी बचा जा सकता। इस प्रकार हम सतत विकास की दृष्टि से भी बेहतर स्थिति में होते।

यद्यपि जमींदारी उन्मूलन व भूमि सुधार अधिनियम, 1950 के ठीक से क्रियान्वयन न होने से ग्रामीण गरीबी एवं भूमि असमानता पूर्णतः समाप्त नहीं हुई, तथापि जमींदारी उन्मूलन ने उत्तर प्रदेश की राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक संरचना मे व्यापक परिवर्तन किया। इन्ही परिवर्तनों के दृष्टिगत चौधरी चरण सिंह को भारतीय कृषि सुधारों के प्रमुख शिल्पकार में रूप में जाना गया। उन्होंने उत्तर प्रदेश के साथ ही, राष्ट्रीय स्तर पर कृषक राजनीति को एक संगठित स्वर प्रदान किया तथा ग्रामीण भारत की समस्याओं को संसद एवं सरकार के समक्ष प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया। उनकी नीतियों एवं विचारों ने बाद में, अन्य किसान आंदोलनों व स्थानीय राजनीतिक दलों को भी प्रभावित किया।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

सिंह, चरण–जमींदारी उन्मूलनः दो विकल्प, इलाहाबाद, 1947।
सिंह, चरण–उत्तर प्रदेश में कृषि क्रांति, 1957।
रीव्स, पीटर–''उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और जमींदारी उन्मूलन'',दक्षिण एशियाई अध्ययन पत्रिका, 1985।
मालवीय, एच. डी.– भारत में भूमि सुधार, नई दिल्ली, 1955।
सिंह, बलजीत एवं मिश्र, श्रीधर – उत्तर प्रदेश में भूमि सुधारों का अध्ययन, होनालूलू, 1964।
उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन समिति प्रतिवेदन, 1948।
उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम, 1950।

Declaration by Author (s): *"I hereby declare that this manuscript is my original work, free from plagiarism, and that all sources and any use of Artificial Intelligence tools for content generation or editing have been fully disclosed and verified for accuracy." Mohit Kumar*